न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 45/2016/अपील

जीवण राम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी ग्राम कटराथल, तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार , तहसील व जिला सीकर
2. झाबर सिंह पुत्र कजोड़ सिंह
3. हरलाल पुत्र कालूराम
4. चेतराम पुत्र रूपाराम
5. लुणकरण पुत्र बालूराम
6. प्रकाश पुत्र सदाराम
7. भोलाराम पुत्र कजोड़सिंह

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम कटराथल, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः--

1. श्री नानूराम बुरानियां अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विधाधर सुण्डा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर. एक्ट विरूद्व निर्णय दिनांक 25.10.2016 न्यायालय तहसीलदार, सीकर प्रकरण संख्या 88/16

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

निर्णय

दिनांकः 16 अक्टूबर, 2017

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सीकर ने ग्राम कटराथल के खसरा नम्बर 2011/1858 बंजड़ जोहड़ भूमि पर बिना किसी अनुमति के पक्का निर्माण दुकान बनाकर इसको विस्तार देना जारी रखा है। दिनांक 21.10.2016 को ग्रामवासी द्वारा दूरभाष पर सूचना मिलने पर मौका देखा गया व निर्माण कार्य करते हुए पाये एवं हलका पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक कटराथल द्वारा मना करने के बावजूद निर्माण कार्य किया है। अतः पत्रावली पेशी में लिए जाने हेतु दिनांक 24.10.2016 को समय 9:30 बजे सुबह निर्धारित की जाती है का नोटिस देने से पूर्व

जिला कलक्टर, सीकर

ही दिनांक 22.10.2016 को अचानक ही अपीलांट के पट्टेशुदा परिसर को कुर्क कर दिया। नियत दिनांक 24.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नोटिस प्रस्तुत कर दिया परन्तु अधीनस्थ तहसीलदार ने बिना सुने ही मनमर्जी से न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 25.10.2016 को पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय में आया है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री विधाधर सुण्डा उपस्थित आये।

3. तहसीलदार सीकर ने अपील मीमो के सम्बन्ध अपने पत्र दिनांक 07.07.2017 द्वारा अवगत करवाया है कि दिनांक 12.06.2017 को उनके द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार ग्राम कटराथल खसरा नम्बर 2011/1859 तादादी 16.9500 हैक्टर बंजड़ जोहड़ भूमि है जिसकी खातेदारी नगर सुधार न्यास, सीकर में नाम दर्ज है। पटवारी कटराथल तहसील सीकर द्वारा खसरा नम्बर 2011/1859 रकबा 16.95 हैक्टर किस्म बंजड़ जोहड़ में कुर्क शुदा दोनों दुकानें मय बरामदा के बने हुए हैं जिनकी दूरी सड़क सीकर झुन्झुनूं राजमार्ग के मध्य से 17 मीटर है, अतः यह दुकानें सड़क सीमा में बनी हुई हैं। इसी अतिक्रमी स्थान से चिपती एक छोटी दुकान इससे पुर्वी ओर स्थित है तथा पश्चिमी ओर एक अस्थाई ढांचानुमा लकड़ी की दुकान स्थित है, इस ओर कोई आबादी भूमि नहीं है, तीनों ही दुकानें सड़क सीमा अन्तर्गत आती हैं। जीवणराम व इससे पूर्वी तरफ की दुकान से दक्षिणी ओर नया कला संकाय महाविधालय कटराथल स्थित है तथा पश्चिमी ओर की दुकान के दक्षिण ओर कुछ जगह खाली है फिर पटवार घर स्थित है। जीवणराम द्वारा पूर्व की थड़ी के स्थान पर पक्की दुकानें निर्माण करने पर यह कार्यवाही उसके खिलाफ की गई थी। निर्माण अवैध को रोकने हेतु बार–बार कहा गया। ग्रामवासियों में भंयकर आक्रोश हो गया था, नित्य शिकायतें ग्रामवासियों द्वारा की जा रही थी, इसी कारण दुकानें चलते कार्य में कुर्क की गई थी। सड़क के पास दक्षिण ओर स्थित इन तीनों के पास आबादी भूमि नहीं लगती है। न कोई परिवार आबाद है। अतिक्रमण स्थल पर पानी कनेक्शन व बिजली कनेक्शन भूमि को पट्टा भूमि बताकर लिया हुआ है। अतिक्रमी की दुकान से चिपती दुकान के बाद कला संकाय कॉलेज का प्रवेश द्वारा है जहां विधार्थी आवागमन करतें हैं। सड़क मार्ग सीकर से झुन्झुनूं सड़क मार्ग के आस पास काफी दुकानें बनी हुई हैं।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि जिला कलक्टर सीकर के आदेश दिनांक 16.06.1966 के द्वारा ग्राम कटराथल तहसील व

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 568, 569, 619 व 581 में से 15 बीघा पुख्ता भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत कटराथल को आवंटित होने पर खसरा नम्बर 568 में 10 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी। हल्का पटवारी द्वारा पैमाइश करके सरपंच ग्राम कटराथल को नक्शे में तरमीम कर भूमि ग्राम पंचायत को सम्भला दी थी। अपीलांट की भूमि उक्त आवंटित भूमि में है, जो आबादी में है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर उक्त भूमि को कुर्क किया है। ग्राम पंचायत को उक्त भूमि आवंटित होने पर वर्ष 1966 में ही अपीलांट व उसके भाई मोहनलाल ने एक चाय की थड़ी लगायी थी जिस पर अपीलांट के विरूद्व 91 एलआर उक्ट की कार्यवाही की जाकर दिनांक 04.12.1973 को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये थे जिस पर अपीलांट ने अपील प्रस्तुत की थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर रिमाण्ड की गयी थी। बाद जांच उक्त भूमि आवंटित आबादी भूमि में होने पर 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही ड्रोप की गयी थी। हल्का पटवारी ने 1990 में अपीलांट के विरूद्व पुनः 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही प्रारम्भ की थी जिसका समुचित जवाब प्रस्तुत किये जाने एवं बाद जांच उक्त प्रश्नगत भूमि आवंटित भूमि पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.02.1990 को 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही ड्रोप की गयी थी। अपीलांट पूर्व में ग्राम पंचायत की इजाजत से थड़ी लगाता था एवं बाद में ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि में 30X35 फिट (166.6 वर्गफिट) भूमि 26.03.2000 को अपीलांट को विक्रय कर दी तथा पट्टा संख्या 2 जारी किया था जिसमें अपीलांट ने 2000 में ही निर्माण करवा लिया था, वर्तमान में मात्र बाउण्ड्रवाल एवं रेनोवेशन का ही कार्य कर रहा था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमण मानकर गलत रूप से बेदखली के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूखण्ड के मामले में दिनांक 28.04.1976 व दिनांक 19.02.1990 के निर्णय जो कि जो कि पत्रावली में मौजूद होते हुए भी अतिक्रमी मानकर भारी कानूनी भूल की है। उपरोक्त प्रकरण में पूर्व तारीख पेशी दिनांक 20.10.2016 नियत थी उसके बाद पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.11.2016 नियत कर दी। इसके बाद अपने आप ही दिनांक 22.10.2016 को बिना पत्रावली में कुर्क करने के आदेश दिये अपीलांट के परिसर को एकाएक ही कुर्क कर दिया तब अपीलांट दिनांक 22.10.2016 को तहसील में आया तो बैकडेट में नोटिस पर हस्ताक्षर करवा लिये। दिनांक 24.10.2016 को नियत पेशी पर अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुने ही दिनांक 25.10.2016 को बेदखली करके एवं जुर्माना राशि 2 रूपये से दण्डित किया है। प्रश्नगत भूखण्ड आवंटित आबादी भूमि में है तथा उक्त तथाकथित जोहड़ भी यूआईटी के नाम से है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय को 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट के पक्ष में सक्षम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है तथा अपीलांट उसके आधार पर ही काबिज है। पट्टे की सत्यता की जांच किये बिना ही बेदखली के आदेश पारित किये है जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपीलांट खसरा नम्बर पुराने 568 आवंटनशुदा

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

भूमि पर काबिज है जिस पर पूर्व में भी हल्का पटवारी एवं तहसीलदार सीकर द्वारा जांच की गई थी एवं 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही ड्रोप की गई थी मात्र गलती से नये खसरा नम्बर कायम होते समय यदि गै. मु. जोहड़ लिखने मात्र से अपीलांट अतिक्रमी नहीं हो जाता है। उक्त आराजी आवंटित आाराजी संख्या 568 का ही भाग है। माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि राजकीय भूमि पर काबिज व्यक्ति अपने कब्जे बाबत सदभावपूर्वक विवाद उठाता है वहां धारा 91 के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व के निर्णयों को नहीं मानकर अवमानना की है। अपीलांट 1966 से ही उक्त भूमि खण्ड पर काबिज चला आ रहा है तथा बिजली एवं पानी के भी कनेक्शन प्राप्त कर रखे है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.10.2016 को निरस्त फरमानें का श्रम करें।

6. रेस्पोडेन्ट के योग्य अभिभाषक का मुख्य कथन था कि अपीलांट की दुकान ग्राम कटराथल के खसरा नम्बर 2011/1859 बंजड़ जोहड़ की भूमि में बनी हुई है एवं उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी नगर सुधार न्यास सीकर में नाम से अंकित है। उक्त सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुका है। अतः अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर है कि:—

(1) न्यायालय तत्कालीन पीठासीन अधिकारी (जिलाधीश सीकर) के निर्णय दिनांक 28.10.75 में अंकित किया गया है खसरा नम्बर 568 की 10 बीघा भूमि जिलाधीश द्वारा आबादी हेतु ग्राम पंचायत कटराथल को आवंटित की गई थी तथा पटवारी द्वारा पैमाइश करके सरपंच ग्राम पंचायत कटराथल को बता दी तथा नक्शा में तरमीम आदि कर भूमि ग्राम पंचायत को सम्भला दी एवं उसका उपयोग किस प्रकार हो, उसका अधिकार ग्राम पंचायत को हो जाता है। प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार ग्राम पंचायत ने अपीलांट को थड़ी लगाने की आज्ञा दी है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 28.04.1976 में अंकित किया है खसरा नम्बर 568 में से 10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत कटराथल को आबादी हेतु दी गई है और मोहन लाल पुत्र नानूराम जाट ने उक्त थड़ी पंचायत से इजाजत लेकर लगाई है।

(3) आबादी भूमि का विक्रय विलेख ग्राम पंचायत कटराथल पंचायत समिति पिपराली सीकर के बुक नम्बर 1 पट्टा नम्बर संख्या 2 मिसल नम्बर संख्या 2 दिनांक 26.03.2000 के अनुसार अपीलांट जीवणराम ने दिनांक 25.05.2000 को उक्त भूमि 1050/—रूपये की राशि जमा करवा कर क्रय की है। जिसमें 30X35 वर्गफीट का नजरी नक्शा भी अंकित किया गया है। तथा ग्राम पंचायत कटराथल की बैठक दिनांक 20.11.2009 के प्रस्ताव संख्या 06 द्वारा नवीनीकरण किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

(4) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सीकर ने निर्णय दिनांक 25.10.2016 में अंकित किया है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भूमि बंजड़ जोहड़ अंकित है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अंन्तर्गत जीवणराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी कटराथल तहसील सीकर राजस्थान द्वारा खसरा नम्बर 2011/1859 रकबा 16.95 हैक्टर में 30 वर्गमीटर भूमि पर किये गये अतिक्रमण एवं दुकान निर्माण परिसर के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है, अतिक्रमी का अतिक्रमण दुकान परिसर को वर्तमान में कुर्क किया है, ताकि मौके पर निर्माण कार्य और नहीं हो। उक्त परिसर वर्तमान में कला संकाय कॉलेज कटराथल के मुख्य द्वार के बिल्कुल पास स्थित है।

(5) प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 15.11.2016 नियत थी। इसके पश्चात तहसीलदार सीकर द्वारा दिनांक 21.10.2016 को बिना सुनवाई किये पत्रावली में कुर्क करने के आदेश जारी कर दिये। दिनांक 24.10.2016 को अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.10.2016 को बेदखली करके एवं जुर्माना राशि 2 रूपये से दण्डित किया है।

(6) प्रकरण में अपीलांट द्वारा भूमि की किस्म के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज यथा जमाबन्दी एवं भूमि रूपान्तरण सम्बन्धित कोई दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किया है तथा भूमि की किस्म के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्टों में भी विरोधाभास है।

8. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तहसीलदार सीकर ने अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित मौका दिये बिना ही अपना निर्णय पारित किया है, तथा भूमि की किस्म के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्टों में भी विरोधाभास है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, संदर्भित भूमि सम्बन्धित सभी दस्तावेजों का पुर्नवालोकन कर पुनः अपना विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तहसीलदार सीकर द्वारा निर्णय सुनाये जाने तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

9. निर्णय आज दिनांक : 16 अक्टूबर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर